

पत्रांक- 475 दिनांक- 28/11/19

सेवा में,

एम0 पी0 कॉलेज ऑफ एडुकेशन, चाँदनी चौक, मधेपुरा, सचिव इफतेखार अहमद रहमानी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अनुसूचि-21-प्रपत्र संख्या-113

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या- 475

आवेदन संख्या- 13/23

चूँकी इफतेखार अहमद रहमानी पिता फारूख अहमद साकिन चक रहमत जीगो, लहेरियासराय, दरभंगा ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।


(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता0- 01.01.2016 से ता0- 20.11.2019 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :- शून्य।

क्र० सं०	(क) सम्पत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेजों का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेजों की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5		7	8	9
	मौजा- परड़िया थाना नं०- 193 अंचल- मधेपुरा	खाता पुराना 59	खाता नया 11	खेसरा पुराना 1318	खेसरा नया 1936	रकवा 64.441 डी०		
		59	193	1316	1937			
		68	11	1317	1934			
		62	11	1318	1935			
					1936			

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहार और अवभार को छोड़, उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभारों का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) :- 

(पदनाम) :- सहायक 

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर) :- 

(पदनाम) :- सहायक

कार्यालय :- जिला निबंधन कार्यालय, मधेपुरा।

तारीख :- 22/11/2019

मुहर



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर



22/11/2019

टिप्पणी:- (1) इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा प्रस्तुत संपत्ति का विवरण के अनुसार पाये गये हैं यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं संपत्तियों की दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन) इस प्रमाण पत्र में शामिल नहीं किये जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियां देखना चाहते हो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हे विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियां उनके सामने रख दी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने उपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और, चूँकी वर्तमान मामले में आवेदक ने उपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकी उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता है।



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

मधेपुरा।



22/11/2019